

क्रमांक 164/बो.प्र./नि.स./2021/.....

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग शिवनाथ भवन,
अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.)

दिनांक /10/2021

अपील प्रकरण क्रमांक 164/बो.प्र./नि.सहा./2021

अपीलार्थी
श्री हेमन्त कुमार साहू
म.न. 86 गौ शाला रोड
विधानगर, तेंदुखेड़ा
जिला - दमोह (म.प्र.)
पिन - 470880
मो.नं. - 8602358827

विरुद्ध

रेस्पॉण्डेंट
श्री एल.बी. शाह
जनसूचना अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 22.10.2021

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलार्थी श्री हेमन्त कुमार साहू के प्रथम अपील आवेदन पत्र दिनांक 25.09.2021 जो कार्यालय में दिनांक 12.10.2021 को प्राप्त हुआ, की सुनवाई आज दिनांक 22.10.2021 को कक्ष क्र. FA-6, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नवा रायपुर में दोपहर 12.00 बजे प्रारम्भ की गई। सुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी श्री एल.बी. शाह कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, रायपुर (छ.ग.) एवं श्री रमेश कुमार देवांगन, सहायक ग्रेड-2, स्थापना शाखा 331-332 कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर उपस्थित थे। अपीलार्थी श्री हेमन्त कुमार साहू अनुपस्थित थे।

2 अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन दिनांक 02.08.2021 को जनसूचना अधिकारी, जल संसाधन विभाग, रायपुर को प्रस्तुत किया था। उनके द्वारा जल संसाधन विभाग में वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में कार्यरत सभी राजपत्रित अधिकारियों (ग्रुप-ए व ग्रुप-बी) के नाम, पिता का नाम, पदनाम, पदस्थ स्थान और उक्त वित्तीय वर्षानुसार दिये गये कुल वेतन का विवरण उनके द्वारा प्रस्तुत तालिका अनुसार चाहा गया था। अपीलार्थी ने यह अपील जनसूचना अधिकारी द्वारा 30 दिवस के अंदर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराये जाने तथा न ही कोई सूचना दिये जाने से क्षुब्ध होकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

3. जनसूचना अधिकारी तथा श्री रमेश कुमार देवांगन, सहायक ग्रेड-2, स्थापना शाखा 331-332, के तर्क श्रवण किये गये।

4 जनसूचना अधिकारी द्वारा सुनवाई के दौरान अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही जानकारी का प्राप्त एक भाग जो कार्यालय के संबंधित कक्ष से दिनांक 13.09.2021 को 130 पृष्ठों की (नोटशीट सहित) है, को कार्यालयीन पत्र क्र. 4112275/75/ छ.ग./2021/7503 दिनांक 14.09.2021 द्वारा अपीलार्थी को सत्यापित कर निशुल्क रूप से प्रदाय की गई। प्रदत्त जानकारी सहायक अभियंता (नागरिक) की प्रावधानिक पदक्रम सूची है।

जनसूचना अधिकारी के तर्क अनुसार अपीलार्थी द्वारा जानकारी उनके द्वारा तैयार किये गये विशेष प्रपत्र में मांगी गई। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (9) में यह प्रावधान है कि जानकारी उसी रूप में प्रदान करें, जिस रूप में वह लोकप्राधिकरण के पास उपलब्ध है। इस प्रावधान का मतलब यह नहीं है कि लोक सूचना अधिकारी सूचना को नया रूप प्रदान कर उसे आवेदक को प्रदत्त करे। अतः अपीलार्थी को सहायक अभियंता (नागरिक) की दिनांक 01.04.2010, दिनांक 01.04.2011 एवं दिनांक 01.04.2012 की स्थिति में प्रावधानिक पदक्रम सूची प्रदत्त की गई है। विभाग में अधिकारियों के वेतन का आहरण विभाग अंतर्गत विभिन्न कार्यालयों से किया जाता है।

अधिनियम के प्रावधानों धारा 8 (1)J के अनुसार वेतन का विवरण संबंधी जानकारी व्यक्तिगत होने के कारण नहीं दी जा सकती। अतः अपीलार्थी को सहायक अभियंता की पदक्रम सूची उपलब्ध कराई गई है।

5 श्री रमेश कुमार देवांगन, सहायक ग्रेड-2, स्थापना शाखा का पक्ष सुना गया। उनके अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 15 जून 2009 द्वारा बनाये गये नियम-3 के अनुसार केवल एक विषय वस्तु से संबंधित जानकारी दी जा सकती है। अतः अपीलार्थी को तीनों वित्तीय वर्ष हेतु सहायक अभियंता की पदक्रम सूची जो राजपत्रित अधिकारियों के ग्रुप-बी श्रेणी अंतर्गत आती है, को जन सूचना अधिकारी को अपीलार्थी को देने हेतु प्रदत्त किया गया है।

6 अपीलार्थी द्वारा मोबाईल से संपर्क स्थापित कर पक्ष सुना गया। जिस पर उनके द्वारा एक पत्र व्हास्टएप किया गया। प्रस्तुत पत्रानुसार उन्होंने लेख किया है कि उन्हें ग्रुप-बी का वर्ष 2009 की स्थिति में जानकारी दी गई है जो कि अपर्याप्त है वित्तीय वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 की जानकारी प्रदाय नहीं की गई है। उनके द्वारा तीन वर्षों हेतु ग्रुप-ए एवं ग्रुप-बी के अधिकारियों के नाम, पिता का नाम, पद का नाम, पदस्थ स्थान और उक्त वित्तीय वर्षानुसार दिये गये कुल वेतन का विवरण की मांग की गई थी। उन्होंने यह भी लेख किया है कि जानकारी एक निश्चित प्रारूप में मांगी गई थी परन्तु उस प्रारूप में जानकारी प्रदान नहीं की गई। उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि "प्रदाय जानकारी में दिये वेतन का ब्यौरा भी नहीं दिया गया जो कि निम्न कारणों से प्रदाय योग्य है। वेतन संबंधी मांगी गई जानकारी लोकसेवकों के संबंध में जो कि आर.टी.आई. एक्ट की प्रस्तावना व धारा 2 की जानकारी उपधारा (एफ व जे) के तहत देने योग्य है। वेतन संबंधी मांगी गई जानकारी लोकसेवकों के संबंध में है और शासन के अधीन है। अतः यह दस्तावेज शासकीय दस्तावेज है, जो कि INDIAN EVIDENCE ACT, 1872 के सेक्शन 74 के अनुसार भी देने योग्य है।"

7. प्रकरण का परीक्षण किया गया। अब प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी को 3 वर्षों की जानकारी उनके द्वारा प्रस्तुत निश्चित प्रारूप में, तथा वेतन संबंधी जानकारी प्राप्त करने की पात्रता है।

अपीलार्थी ने आवेदन में जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 में कार्यरत सभी राजपत्रित अधिकारियों (ग्रुप-ए एवं ग्रुप-बी) के संबंध में जानकारी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई। उल्लेखनीय है कि प्रत्येक पूर्ण वर्ष संबंधित अपने आप में एक पृथक विषय-वस्तु है। अपीलार्थी द्वारा आवेदन में 3 वर्षों की जानकारी चाही गई है, जो एक से अधिक वस्तु-विषय की हो जाती है। एक से अधिक विषय-वस्तु की जानकारी एक ही आवेदन में मांगे जाने के संबंध में छ.ग.शासन सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-2-10/2008/1-सू.अ.प्र. दिनांक 15 जून 2009 द्वारा बनाये गये छत्तीसगढ़ सूचना का अधिकार (आवेदन प्रस्तुति) नियम 2009 का नियम-3 निम्नानुसार है :-

"3 अनुरोध केवल एक विषय वस्तु से संबंधित हो -सूचना के लिए अधिनियम की धारा (6) के अंतर्गत अनुरोध लिखित में एक विषय वस्तु से संबंधित रहेगा एवं वह सामान्यतः एक सौ पचास शब्दों से अधिक नहीं होगा। यदि कोई आवेदक एक से अधिक विषय वस्तु की सूचना चाहता है तो वह इनके लिए अलग-अलग आवेदन करेगा। परंतु अनुरोध एक से अधिक विषय वस्तु से संबंधित होने की स्थिति में जनसूचना अधिकारी केवल प्रथम विषय वस्तु के संबंध में उत्तर देगा तथा अन्य प्रत्येक विषय वस्तु के लिए आवेदक को अलग-अलग आवेदन करने हेतु सलाह दे सकेगा।"

उपरोक्त नियम के तहत अपीलार्थी को केवल एक वर्ष की राजपत्रित अधिकारियों के एक ग्रुप ए अथवा बी की जानकारी सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त करने की पात्रता है। किन्तु जन सूचना अधिकारी द्वारा तीन वर्ष के ग्रुप बी श्रेणी के सहायक अभियंताओं की कार्यालय में संधारित पदक्रम सूची आवेदक को निःशुल्क उपलब्ध करायी है तथा प्रदत्त जानकारी संबंधित वर्षों हेतु प्रभावशील पदक्रम सूची ही है। अतएव ग्रुप ए श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में आवेदक प्रत्येक वर्ष हेतु पृथक-पृथक से आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

8. आवेदक द्वारा अपने आवेदन में एक विशिष्ट प्रारूप में जानकारी चाही है। साथ ही अधिकारी के पिता का नाम संबंधित वर्ष में पदस्थ स्थान/परियोजना का विवरण भी चाहा गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम में जन सूचना अधिकारी से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह आवेदक को उनके द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट प्रारूप में ही वृहद स्वरूप की जानकारी खोजकर तैयार कर संकलित कर प्रदान करे। वरन् कार्यालय में लोक प्राधिकारी द्वारा धारित स्वरूप में उपलब्ध जानकारी ही सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रदान की जा सकती है। अधिनियम की धारा 2 (च) के अनुसार "सूचना" का अर्थ "किसी भी रूप में कोई भी सामग्री" है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत नागरिक को लोक प्राधिकरण से ऐसी "सामग्री" प्राप्त करने का अधिकार है जो उस लोक प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को "सामग्री" उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में वह लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों की खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गए तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नहीं है। अतः जन सूचना अधिकारी ने लोक प्राधिकारी द्वारा शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में संधारित की जाने वाली सहायक अभियंता (नागरिक) की पदक्रम सूची आवेदक को उपलब्ध करायी है, जो कि नियमों के अनुरूप है।

9. प्रथम अपील में सुनवायी के दौरान वाट्सएप के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्क में अधिनियम की धारा 2 (f & J) का उल्लेख कर जानकारी उपलब्ध कराने का लेख किया है। तत्संबंध में उल्लेखनीय है कि कार्यालय में संधारित पदक्रम सूची में उल्लेखित अधिकारियों का वेतन संरचना अंतर्गत उनकी पदस्थापना वाले विभिन्न कार्यालयों द्वारा आहरित किया जाता है। किसी शासकीय सेवक को प्रदत्त वेतन संबंधी जानकारी उस शासकीय सेवक की व्यक्तिगत जानकारी की श्रेणी में आता है। तत्संबंध में अधिनियम की धारा 8 (1) (J) का उद्धरण निम्नानुसार है :-

8. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी -

(J) सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है :

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी विधान-मंडल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।

अतः अधिनियम की उक्त धारा 8 (1) (J) के तहत किसी शासकीय सेवक का वेतन विवरण नहीं प्रदान किया जा सकता है। केन्द्रीय सूचना आयुक्त, नई दिल्ली ने समान प्रकृति के प्रकरण में अपने आदेश क्र. CIC/CRAIL/ A/2017/ 195502 दिनांक 27 मार्च 2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा "गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम केन्द्रीय सूचना आयुक्त 2013 1 SCC 212" एवं "आर.के. जैन बनाम भारत संघ 2013 14 SCC 794" में प्रतिपादित सिद्धांत के तहत किसी शासकीय सेवक के वेतन विवरण को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत विवरण मानते हुए अधिनियम की धारा 8 (1) (J) के तहत छूट की श्रेणी में माना है। इसके अलावा विचाराधीन अपील प्रकरण में कोई व्यापक लोक हित का मामला शामिल होना नहीं पाया गया।

10. अतः उभयपक्षों के तथ्यों के आधार पर प्रकरण पर यह निर्णय दिया जाता है कि :-

(1) ग्रुप ए श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में आवेदक प्रत्येक वर्ष हेतु पृथक-पृथक से आवेदन प्रस्तुत कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(2) जन सूचना अधिकारी ने लोक प्राधिकारी द्वारा शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप में संधारित जानकारी यथा सहायक अभियंता (नागरिक) की 3 वर्षों की पदक्रम सूची आवेदक को निःशुल्क उपलब्ध करायी है, जो कि नियमों के अनुरूप है।

(3) सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई वेतन संबंधी जानकारी को अधिनियम की धारा 8 (1) (J) के तहत छूट की श्रेणी में होने के कारण प्रकट करना संभव नहीं है।

इस आदेश की प्रति संबंधित पक्षों को निःशुल्क प्रदान की जाती है। उपरोक्तानुसार अपील प्रकरण का निस्तारण किया जाता है। इस आदेश से क्षुब्ध पक्ष, इस आदेश के विरुद्ध 90 दिनों के भीतर, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.), पिन-492002 के कार्यालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

सही/-

(अरुण कुमार बड़िये)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)

पृ. क्र. 164/बो.प्र./नि.स./2021/..... 8895

नवा रायपुर, दिनांक /10/2021

प्रतिलिपि :-

1. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस., कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग के वेबसाईट (RTI) में अपलोड कराने का कष्ट करें।
2. श्री एल.बी. शाह, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री हेमन्त कुमार साहू, म.न. 86 गौ शाला रोड, विध्यानगर, तेंदुखेड़ा, जिला - दमोह (म.प्र.) पिन - 470880 की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



(अरुण कुमार बड़िये)
अधीक्षण अभियंता (बोधी) एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.)